

राजस्थान सरकार

कृषि (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक :15(4)कृषि/ग्रुप-2/2021

जयपुर, दिनांक 12 OCT 2021

—: आज्ञा :—

राजस्थान कृषि उपज विपणन अधिनियम, 1961 की धारा 34-ए में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य में कृषक उपहार योजना लागू करने के लिये राज्य सरकार निम्न अनुदेश प्रदान करती है:-

1. योजना का तात्पर्य :-

1. कृषि उपज को E-Nam के माध्यम से विक्रय करने तथा E-Payment के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने हेतु एवं कृषकों को अपनी उपज का अधिकाधिक लाभ दिलाने के उद्देश्य से यह योजना लागू की जा रही है।
2. यह योजना राज्य के उन सभी व्यक्तियों पर प्रभावी होगी जो अपनी कृषि उपज को E-Nam के माध्यम से विक्रय करेंगे, उन्हें E-Nam पोर्टल के माध्यम से उपहार कूपन का नम्बर जारी किया जायेगा।
3. यह योजना वर्ष 2021-22 से प्रारम्भ होगी।
4. ई-नाम पोर्टल के माध्यम से कृषि उपज विक्रेता को उसके द्वारा विक्रय की गयी उपज की ऐसी विक्रय पर्ची पर एक उपहार कूपन का नम्बर जारी किया जावेगा, जिस पर मण्डी शुल्क देय होगा।
5. इस योजना पर होने वाला समस्त व्यय राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा वहन किया जायेगा।

2. योजना की क्रियान्विति :-

1. इस योजना का क्रियान्वयन निदेशक, कृषि विपणन के निर्देशन में कृषि विपणन विभाग द्वारा किया जावेगा।
2. निर्धारित अवधि में योजना के चालू होने के संबंध में निदेशक द्वारा जनसम्पर्क निदेशालय के माध्यम से दो दैनिक समाचार पत्रों में इस ज्ञापन की विज्ञप्ति जारी की जायेगी, जिसमें योजना की निर्धारित अवधि न्यूनतम विक्रय मूल्य, विक्रेता विशेष को लाटरी पद्धति द्वारा दिये जाने वाले विभिन्न पुरस्कारों का विवरण और मण्डी समितियों द्वारा जारी उपहार कूपनों की लाटरी खोले जाने की तिथि स्थान एवं समय का विवरण अंकित होगा। अपरिहार्य परिस्थितियों में लाटरी ड्रा निकाले जाने की तिथि, स्थान एवं समय में परिवर्तन किया जा सकता है, जिनकी सूचना उपरोक्तानुसार समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशित कराकर सर्व साधारण को इसकी जानकारी दी जायेगी। ऐसी सूचना जिला कलेक्टर, तहसील, कृषि विपणन विभाग के मण्डी कार्मिकों, पंचायत समितियों एवं मण्डी समितियों के सूचना पट्ट पर भी प्रदर्शित की जायेगी।

3. इस योजना में कृषि विपणन विभाग के अधीन प्रत्येक खण्ड को एक इकाई माना जावेगा। उपहार कूपन प्रत्येक खण्ड के लिये अलग-अलग क्रमांक में जारी होंगे। पुरस्कार निकाले जाने की प्रक्रिया संबंधित झा समिति करेगी।

3 योजना के अन्तर्गत पुरस्कार :-

1. कृषक उपहार योजना प्रक्रिया में वर्णित पुरस्कार।

मण्डी स्तर पर

	गेट पास की विक्रय पर्चियों पर	E-Payment की विक्रय पर्चियों पर
प्रत्येक छः माह में	प्रथम पुरस्कार (1) 25 हजार	प्रथम पुरस्कार (1) 25 हजार
	द्वितीय पुरस्कार (1) 15 हजार	द्वितीय पुरस्कार (1) 15 हजार
	तृतीय पुरस्कार (1) 10 हजार	तृतीय पुरस्कार (1) 10 हजार

खण्ड स्तर पर

प्रत्येक छः माह में	प्रथम पुरस्कार (1) 50 हजार
	द्वितीय पुरस्कार (1) 30 हजार
	तृतीय पुरस्कार (1) 20 हजार

राज्य स्तर पर

वर्ष में एक बार	प्रथम पुरस्कार (1) 2.5 लाख
	द्वितीय पुरस्कार (1) 1.5 लाख
	तृतीय पुरस्कार (1) 1 लाख

2. पुरस्कार की राशि पुरस्कार विजेता को उनके बैंक खाते के माध्यम से दी जावेगी।

4. अधिसूचित कृषि उपज विक्रेताओं को उपहार कूपन जारी किया जाना:-

1. कृषक उपहार योजना में जारी किये जाने वाले कूपन इस हेतु निर्धारित E-Nam Software के माध्यम से जारी किये जायेंगे।
2. विक्रेता को कृषक उपहार कूपन क्रमांक उस मण्डी समिति के सचिव द्वारा उपलब्ध कराये जायेंगे, जिस मण्डी समिति के मण्डी यार्ड/गौण मण्डी यार्ड/निजी मण्डी यार्ड में कृषि उपज का विक्रय हुआ हो।
3. विक्रित कृषि उपज के विक्रय मूल्य पर प्रति रु. 10,000 की राशि पर एक उपहार कूपन क्रमांक अथवा इसके गुणक पर निर्धारित संख्या में उपहार कूपन नम्बर निर्धारित E-Nam Software द्वारा किये जा सकेंगे।

5. पुरस्कारों हेतु झा निकाला जाना:- कम्प्यूटर में सभी कूपनों के नम्बर इन्द्राज कराने के उपरान्त लॉटरी, विभाग द्वारा निर्धारित Software से निकाली जाएगी। योजना के पुरस्कारों का ड्रॉ राज्य सरकार द्वारा गठित समिति द्वारा निकाला जावेगा जिसमें निम्न सदस्य होंगे:-

मण्डी स्तर पर

	गेट पास की विक्रय पर्चियों पर	E-Payment की विक्रय पर्चियों पर
प्रत्येक छः माह में	प्रथम पुरस्कार (1) 25 हजार	प्रथम पुरस्कार (1) 25 हजार
	द्वितीय पुरस्कार (1) 15 हजार	द्वितीय पुरस्कार (1) 15 हजार
	तृतीय पुरस्कार (1) 10 हजार	तृतीय पुरस्कार (1) 10 हजार

मण्डी स्तर पर

- क्षेत्रीय संयुक्त/उप निदेशक या प्रतिनिधि —सदस्य
- अध्यक्ष/प्रशासक मण्डी समिति —अध्यक्ष
- सचिव मण्डी समिति —सदस्य सचिव

खण्ड स्तर पर

प्रत्येक छः माह में	प्रथम पुरस्कार (1)	50 हजार
	द्वितीय पुरस्कार (1)	30 हजार
	तृतीय पुरस्कार (1)	20 हजार

खण्ड स्तर पर:-

- खण्ड मुख्यालय की मण्डी का प्रशासक/अध्यक्ष —अध्यक्ष
- खण्ड मुख्यालय की मण्डी का सचिव —सदस्य
- क्षेत्रीय संयुक्त/उप निदेशक —सदस्य सचिव

राज्य स्तर पर

वर्ष में एक बार	प्रथम पुरस्कार (1)	2.5 लाख
	द्वितीय पुरस्कार (1)	1.5 लाख
	तृतीय पुरस्कार (1)	1 लाख

राज्य स्तर पर:-

- प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग अध्यक्ष
- प्रशासक, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड सदस्य
- निदेशक, कृषि विपणन विभाग सदस्य सचिव

उक्त वर्णित द्वा समितियों में एक ही अधिकारी के दो पदों पर कार्यरत होने की स्थिति में मण्डी स्तरीय समिति एवं खण्ड स्तरीय समिति के संबंध में निदेशक, कृषि विपणन विभाग तथा राज्य स्तरीय समिति के संबंध में प्रमुख शासन सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि द्वारा किसी अन्य अधिकारी का मनोनयन किया जा सकेगा।

6. लॉटरी ड्रा में निकाले गये उपहार कूपनों के प्रति उपहार :-

1. पुरस्कार प्राप्त करने हेतु आवेदन-पत्र प्राप्त होने की अन्तिम तिथि से 30 दिन के पश्चात् पुरस्कार प्रदान कर दिया जावेगा, बशर्ते इसमें कोई विवाद नहीं हो। प्रत्येक पुरस्कार राशि का भुगतान संबंधित मण्डी समिति द्वारा पुरस्कार विजेता को किया जावेगा। योजनान्तर्गत दी जाने वाली संपूर्ण पुरस्कार राशि संबंधित को अदा की जायेगी। इस पुरस्कार राशि पर देय आयकर आदि राशि का भुगतान संबंधित मण्डी समिति द्वारा वहन किया जावेगा। पुरस्कार राशि व योजना पर किये गये व्यय का पुनर्भरण राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा किया जावेगा।

7. विवादों का निपटारा एवं न्यायिक क्षेत्राधिकार :-

1. कृषक उपहार योजना में विवादों का निस्तारण निदेशक, कृषि विपणन विभाग द्वारा प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने की तिथि से 30 दिवस की अवधि में सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये किया जायेगा।
2. निदेशक, कृषि विपणन के निर्णय की अपील 30 दिवस में प्रमुख शासन सचिव, कृषि को प्रस्तुत की जा सकेगी। प्रमुख शासन सचिव, कृषि द्वारा 30 दिवस में निर्णय पारित करना आवश्यक होगा। पारित निर्णय अन्तिम होगा, जिसे मानने के लिये संबंधित पक्षकार बाध्य होंगे।

8. योजना क्रियान्वयन हेतु धनराशि की व्यवस्था:-

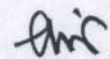
योजना के क्रियान्वयन अर्थात् उसके प्रचार-प्रसार, मुद्रण, पुरस्कार तथा Software निर्माण एवं इत्यादि आदि पर व्यय होने वाली समस्त धनराशि राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा मण्डी विकास निधि से वहन की जायेगी।

9. निदेशक को दिशा-निर्देशन की शक्तियां :-

योजना के भलीभांति संचालन के लिये इस नियमों के अधीन रहते हुए निदेशक अपने अधीनस्थ कार्यालयों एवं मण्डी समितियों को समुचित दिशा निर्देश जारी कर सकेंगे।

10. योजना के प्रावधानों में छूट:-

राज्य सरकार कृषक उपहार योजना के प्रावधानों में आवश्यकता होने पर छूट प्रदान कर सकेगी।



(बृज गुप्ता)

शासन उप सचिव,
कृषि (ग्रुप-2) विभाग

योजना की क्रियान्वति के दिशा-निर्देश

कृषक उपहार योजना की क्रियान्वित सम्बन्धी निर्देश:-

1. उपहार कूपनों के लिए प्रत्येक श्रेणी की मण्डियों को एक इकाई माना जावेगा।
2. उपहार कूपन मुख्य मण्डी यार्ड सहित समस्त गौण मण्डी एवं निजी मण्डी यार्डों में भी निर्धारित E-Nam Software के माध्यम से उपलब्ध कराये जायेगे।
3. प्रथम योजना के द्वा निर्धारित समय अवधि उपरान्त विभिन्न स्तर पर गठित समिति द्वारा निकाला जायेगा तथा उसके परिणामों की सूचना राजस्थान दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से प्रसारित की जायेगी।
4. पुरस्कार राशि कृषक के बैंक खाते में स्थानान्तरित की जावेगी।
5. समस्त मण्डी सचिवों द्वारा योजना के विस्तृत प्रचार-प्रसार पेम्पलेट पोस्टर्स, योजना के फोल्डर पेंटिंग व बेनर द्वारा करवाया जायेगा साथ ही सचिव द्वारा ग्राम सभाओं एवं पंचायत समिति की बैठको हाट व मेलों, कृषि विभाग द्वारा आयोजित प्रदर्शन व प्रदर्शनियों में भाग लेकर प्रचार सामग्री वितरित की जायेगी।
6. पुरस्कारों के संबंध में किसी भी प्रकार का विवाद दृष्टिगत होने पर उसकी विस्तृत जानकारी, सचिव कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा निदेशालय को दी जायेगी। विवाद में निदेशक, कृषि विपणन द्वारा 30 दिवस में निर्णय पारित किया जायेगा, जिसकी अपील प्रमुख शासन सचिव, कृषि को प्रस्तुत की जा सकेगी। प्रमुख शासन सचिव, कृषि का निर्णय अन्तिम होगा।
7. मण्डी सचिव कृषकों को उनकी उपज E-Nam पोर्टल पर विक्रय करने हेतु प्रेरित करेंगे तथा विक्रय की विक्रय पर्ची जारी करना सुनिश्चित करेंगे। इस कार्य में किसी प्रकार की शिथिलता नहीं होगी।
8. योजना बाबत किसी भी प्रकार की समस्या आने पर उसके सम्बन्ध में क्षेत्रीय संयुक्त/उप निदेशक या निदेशालय में तत्काल सम्पर्क कर उसका निराकरण किया जा सकेगा।
9. योजना के प्रचार-प्रसार सम्बन्धी खर्चों के लिए प्रत्येक मण्डी समिति द्वारा रुपये 50000/ (अक्षरे पचास हजार) की राशि व्यय की जा सकेगी।
10. विक्रेता कृषक द्वारा उपलब्ध कराये गये मोबाईल नम्बर पर कृषक उपहार कूपन क्रमांक के नम्बर का Text Message किया जायेगा।
11. मण्डी समिति द्वारा E-Nam पर जारी विक्रय पर्ची पर कृषक उपहार कूपन क्रमांक जारी किया जा सकेगा।

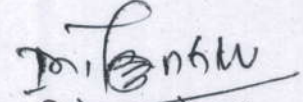

(सोहन लाल शर्मा)
निदेशक
कृषि विपणन विभाग

क्रमांक:

दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. महा प्रबंधक (प्रशासन) राज0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर।
2. सचिव राज0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर।
3. समस्त क्षेत्रीय संयुक्त/उप निदेशक, कृषि विपणन विभाग, जयपुर।
4. समस्त शाखा प्रभारी, निदेशालय, जयपुर।
5. प्रभारी योजना शाखा, मुख्यालय जयपुर को योजना की मोनिटरिंग हेतु।
6. समस्त सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति।


उप निदेशक योजना
कृषि विपणन

राजस्थान सरकार
कृषि विपणन निदेशालय, जयपुर

दिनांक: 10th 2022

क्रमांक:प.1(185)निकवि/रागांकृसासयो/44772-926

क्षेत्रीय संयुक्त/उप निदेशक
कृषि विपणन विभाग,
खण्ड-समस्त।
सचिव,
कृषि उपज मण्डी समिति
समस्त।

विषय:- "कृषक उपहार योजना" के प्रशिक्षण हेतु आयोजित वीडियो कांफ्रेंस दिनांक 30.12.2021 तथा फॉलो अप दिनांक 03.01.2022 में उठाये गये बिन्दुओं पर मार्गदर्शन/दिशा-निर्देश बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि "कृषक उपहार योजना" के प्रशिक्षण हेतु आयोजित वीडियो कांफ्रेंस दिनांक 30.12.2021 तथा फॉलो अप दिनांक 03.01.2022 में राज्य के मण्डी सचिवों तथा क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा उठाये गये बिन्दुओं पर मार्गदर्शन/दिशा-निर्देश निम्नानुसार जारी किया जाता है:-

1. मण्डी स्तर पर गेट पास की विक्रय पर्चीयों पर जारी कूपन एवं ई भुगतान पर जारी कूपनों पर प्रत्येक 06 माह में अलग-अलग लॉटरी निकाली जानी है जबकि खण्ड स्तर पर (प्रत्येक 06 माह में) एवं राज्य स्तर पर (वर्ष उपरान्त) उक्त दोनों प्रकार के जारी कूपनों (गेट पास की विक्रय पर्चीयों पर जारी कूपन एवं ई भुगतान पर जारी कूपन) को शामिल कर लॉटरी निकाली जानी है।
2. एक कूपन पर मण्डी, खण्ड तथा राज्य स्तर पर एक से अधिक बार पुरस्कार हेतु लॉटरी में निकलने पर, उस कूपन पर एक से अधिक बार पुरस्कार दिया जा सकेगा।
3. मण्डी स्तर पर प्रत्येक 06 माह में निकाले जाने वाली लॉटरी ऑफलाईन ड्रा के माध्यम से पूर्व निर्धारित एवं सूचित समय एवं स्थान पर सर्व साधारण के समक्ष निकाली जानी है जबकि खण्ड एवं राज्य स्तर पर लॉटरी कम्प्यूटर के माध्यम से पूर्व निर्धारित एवं सूचित समय एवं स्थान पर सर्व साधारण के समक्ष निकाली जानी है।
4. खण्ड स्तरीय अधिकारी (क्षेत्रीय संयुक्त/उप निदेशक) खण्ड की मण्डी समितियों में योजना के क्रियान्वयन की समुचित मॉनिटरिंग करेंगे। निर्धारित दिशा-निर्देशों से भिन्न स्थिति होने पर तत्काल निदेशालय के ध्यान में लाया जाकर उक्त स्थिति का समग्र निस्तारण करायेगें।

खण्डीय अधिकारी खण्ड की मण्डी समितियों से प्रत्येक माह की निर्धारित प्रपत्र में सूचना संकलित कर आगामी माह की 05 तारीख तक निदेशालय को जरिये ईमेल dam.schemes@rajasthan.gov.in प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न:- निर्धारित प्रपत्र प्रारूप।

(सोहैन लाल शर्मा)
निदेशक
कृषि विपणन

राजस्थान सरकार
कृषि विपणन निदेशालय, जयपुर

क्रमांक:प.1(185)निकृवि/कृ.उ.योजना/2021-22/ 29134-231 दिनांक: 02.08.2022

आदेश

कृषक उपहार योजना की राज्य सरकार द्वारा जारी आज्ञा दिनांक: 12.10.2021 के बिन्दु सं. 1 योजना का तात्पर्य के उप बिन्दु (2) में "राज्य के" शब्द को विलोपित किया जाता है।

यह आदेश राज्य सरकार की सक्षम स्वीकृति उपरान्त जारी किया गया है।

(सीताराम जाट)
निदेशक

कृषि विपणन

क्रमांक:प.1(185)निकृवि/कृ.उ.योजना/2021-22/ 29134-231 दिनांक: 02.08.2022

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, कृषि विपणन विभाग राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सहायक, प्रशासक राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर।
3. क्षेत्रीय संयुक्त/उप निदेशक, कृषि विपणन विभाग, खण्ड-समस्त।
4. सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति, समस्त।

निदेशक

कृषि विपणन